अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री राजन विशाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2020 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. राधेश्याम नामा पुत्र स्व. कैलाश नामा जाति छीपा
2. अनोखी देवी पत्नी श्री राधेश्याम नामा जाति छीपा

निवासी नामदेव कॉलोनी, वायरलैस आफिस के पीछे, सांगानेर, जिला जयपुर।

अपीलार्थीगण

बनाम

शम्भू प्रकाश नामा पुत्र श्री राधेश्याम नामा जाति छीपा निवासी नामदेव कॉलोनी, वायरलैस आफिस के पीछे, सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 13.12.2019 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 45/2019 ब उनवानी राधेश्याम नामा बनाम शम्भू प्रकाश नामा

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट्स स्वयं उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी स्वयं उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 05.05.2022

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 45/2019 ब उनवानी राधेश्याम नामा बनाम शम्भू प्रकाश नामा में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2019 से व्यथित हो कर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी स्वयं उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रत्यर्थी के विरूद्व अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष पेश किया गया था। प्रत्यर्थी के विरूद्व यह अनुतोष चाहे थे कि प्रत्यर्थी को पाबन्द किया जावे कि प्रत्यर्थी, अपीलार्थीगण के विरूद्व

किसी प्रकार की शारीरिक व मानसिक हिंसा कारित नहीं करे तथा अपीलार्थीगण को उनके भरण पोषण, दवाई खर्च चिकित्सा आदि पेटे 10,000/— रूपये प्रति माह अदा करे तथा अपीलार्थीगण की सुरक्षा, संरक्षा तथा उनकी सम्पत्ति के संरक्षरण हेतु अपीलार्थी संख्या 1 की स्व अर्जित आय से क्रय किये गये तथा निर्मित किये गये निवास स्थान/मकान नामदेव कॉलोनी वारयलैस ऑफिस के पीछे सांगानेर जयपुर से प्रत्यर्थी को निष्कासित करने के आदेश पारित फरमाये जावें। जिस पर सुनवाई कर अधीनस्थ अधिकरण ने दिनांक 13.12.2019 को आलौच्य आदेश पारित कर अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र मात्र आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रत्यर्थी को पाबन्द फरमाया कि वह अपीलार्थीगण के साथ गली गलौच, मारपीट व अभद्र व्यवहार नहीं करेगा ना ही शारीरिक व मानसिक रूप ये प्रताड़ित करेगा तथा अपीलार्थीगण के द्वारा प्रत्यर्थी को अपनी स्व अर्जित अचल सम्पत्ति से निष्कासित करने तथा भरण पोषण राशि दिलवाये जाने बाबत आलोच्य आदेश में कोई विवेचना किये बिना उक्त अनुतोषों को अस्वीकार कर दिया गया। अधीनस्थ अधिकरण ने केवल अनुतोष संख्या 1 बाबत ही जरिये आलौच्य आदेश अपना आदेश पारित किया जबकि अनुतोष संख्या 2 व 3 के सम्बन्ध में आलौच्य आदेश में कोई वर्णन या आधार वर्णित नहीं किये, जबकि अधिनियम की धारा 23 के अनुसार अधिकरण को यह अधिकार प्राप्त था कि यदि अपीलार्थीगण ने अपनी जान माल की सुरक्षा एवं सम्पत्ति की सुरक्षा तथा भरण पोषण की शर्तो के अधीन प्रत्यर्थी को अपनी स्व अर्जित आय से निर्मित व खरीदशुदा मकान में रहने बाबत इजाजत लाईसेन्स दिया था तो प्रत्यर्थी के द्वारा उनका उल्लंघन करने पर प्रत्यर्थी को अपीलार्थीगण की सम्पत्ति से निष्कासित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक था, ताकि अपीलार्थीगण की जान माल व सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, किन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने इन तथ्यों पर गौर फरमाये बिना आलौच्य आदेश पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 27.09.2019 को भी गाली गलौच व मारपीट की गई जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना सांगानेर में दी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी से जान माल का पूरा खतरा है । क्योंकि प्रत्यर्थी अपने क्रूर स्वभाव के चलते अपनी दोनों बीवियों के साथ मारपीट कर उन्हें तलाक दे चुका है। प्रत्यर्थी केवल और केवल स्वयं के लिये जीता है। प्रत्यर्थी पूर्णतया स्वार्थी, निर्लज, क्रूर तथा निर्दयी व्यक्ति है। जिसमें अपीलार्थीगण के प्रति कतई दया व आदर भाव नहीं है। जिस कारण आलौच्य आदेश निरस्त कर प्रत्यर्थी को अपीलार्थीगण की अचल सम्पत्ति से निष्कासित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चय रश्मि सक्सेना बनाम सुरेश प्रकाश सक्सेना 2017 (3) डब्लूएलसी पेज नम्बर 312 में यह न्यायिक निर्णय पारित किया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत वर्णित शब्द दान द्वारा या अन्यथा में अपनी अचल सम्पत्ति को रहने हेतु लाईसेन्स पर दिये गये अधिकार को भी अन्तरक की वांछा पर अधिकरण या अपीलीय अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किये जाने के अधिकार प्राप्त है, तदनुसार प्रत्यर्थी को सम्पत्ति से निष्कासित किये जाने के अधिकार भी प्राप्त है तथा उक्त न्यायिक विनिश्चय के आधार पर अपीलार्थीगण की प्रत्यर्थी से जान माल की सुरक्षा एवं उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा, संरक्षा तथा उनके गरिमा पूर्ण जीवन के मध्येनजर प्रत्यर्थी को अपीलार्थी की अचल सम्पत्ति से निष्कासित किया जाना न्यायाहित मे अति आवश्यक है। अतः अधीनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2019 निरस्त फरमाया जाकर अपील में चाहे गये अनुतोष स्वीकृत कर प्रत्यर्थी को 10,000/—रूपये प्रति माह भरण पोषण

मजिस्ट्रेट
(...टर) जयपुर

राशि दिलवाने व अपीलार्थी द्वारा स्व अर्जित आय से क्रय शुदा मकान से प्रत्यर्थी को निष्कासित किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थी ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी ने झूंठे तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष धारा 5 के तहत अनुतोष चाहने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया था अपीलार्थी स्वयं राजकीय अध्यापक पद से सेवा निवृत्त है। जिसको पेन्शन एवं चिकित्सा सुविधा मिली हुई है। अपीलार्थीगण के दो पुत्र है एक बड़ा है और प्रत्यर्थी छोटा पुत्र है। अपीलार्थीगण ने इन सब तथ्यों को छुपाते हुये केवल प्रत्यर्थी से ही 10,000/–रूपये की मांग की गई है। जबकि अपीलार्थी संख्या एक को पर्याप्त मात्रा में प्रतिमाह पेंशन राशि मिलती है व निः शुल्क चिकित्सा सुविधा मिली हुई है। जबकि अपीलार्थी बेरोजगार है। इसी को मध्यनजर रखते हुये अधीनस्थ अधिकरण ने भी अपीलार्थी की मांग को खारिज किया है। अपीलार्थी ने स्वः अर्जित सम्पत्ति का कथन करते हुये मकान से निष्कासित किये जाने की मांग की है। मकान से बेदखल किये जाने का क्षेत्राधिकार इस अधिनियम में नहीं है। इसके लिए माननीय सिविल कोर्ट को ही अधिकार है। धारा 23 यह उपबन्ध करती है कि यदि इस बिल के प्रावधान के प्रारम्भ होने के पश्चात वरिष्ठ नागरिक उपहार के जरिये या अन्यथा अपनी सम्पत्ति इस शर्त के साथ अंतरित करता है कि अन्तरणी मूल सुख, सुविधाए और मूल भौतिक आवश्यकताऐं प्रदान करेगा और ऐसा अन्तरणी ऐसी सुख सुविधाओं और भौतिक आवश्यकताऐं प्रदान करने में असफल हो जाता है या मना कर देता है, तो सम्पत्ति का उक्त अन्तरण कपट या छल द्वारा आनावश्यक प्रभाव के अधीन किया गया माना जायेगा और वरिष्ठ नागरिक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा अन्तरण शून्य घोषित किया जावेगा, परन्तु इस मामले में ऐसा कोई सशर्त अन्तरण नहीं हुआ है। अधीनस्थ अधिकरण ने भी इसी तथ्य को मध्य नजर रखते हुये मकान से बेदखल किये जाने की मांग को खारिज किया है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश उचित है। अत अपीलार्थीगण की अपील मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

7. अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर दो अनुतोष चाहे है। प्रथम अपीलार्थी ने 10,000/–रूपया प्रति माह भरण पोषण, ईलाज व दवाईयों आदि के दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा है। जबकि अपीलार्थी राजकीय अध्यापक पद से सेवा निवृत्त है, जिसे राज्य सरकार से पर्याप्त मात्रा में पेन्शन राशि प्राप्त होती है और चिकित्सा सुविधायें भी मिली हुई है। इसलिए अपीलार्थीगण द्वारा दवाईयों एवं भरण पोषण हेतु राशि दिलाये जाने का अनुतोष स्वीकार नहीं है। द्वितीय, अपीलार्थी ने माता–पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 (1) के तहत प्रत्यर्थी को मकान से बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा है। धारा 23 (1) इस प्रकार है–**Section 23. Transfer of property to be void in certain circumstances**– (1) Where any senior citizen who, after the commencement of this Act, has transferred by way of gift or otherwise, his property, subject to the condition that the transferee shall provide the basic amenities and basic physical needs to the transfer or and such transferee refuses or fails to provide such amenities and physical needs, the said transfer of

property shall be deemed to have been made by fraud or coercion or under undue influence and shall at the option of the transfer or be declared void by the Tribunal.

8. इस प्रकार अधिनियम की धारा 23 (1) यह उपबन्ध करती है कि जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहां सम्पत्ति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असम्यक असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जावेगा। उक्त प्रकरण मे ऐसा कोई सशर्त अन्तरण नहीं पाया गया है। इसलिए धारा 23 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः अपीलार्थी द्वारा धारा 23 (1) के तहत चाहा गया अनुतोष स्वीकार नहीं है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी के साथ सद्व्यवहार करने व किसी प्रकार से गाली गलौच नही करने हेतु प्रत्यर्थी को पाबन्द किया हुआ है। अधीनस्थ अधिकरण के आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

05/05/22

(सजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर